प्रेस नोट दिनांक 10.02.2025 जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 10.02.2026
थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

शांति व्यवस्था भंग करने व पतंग विवाद से उपजी आगजनी की घटना में थाना आसपुर देवसरा पुलिस की त्वरित कार्यवाही, वांछित 01 अभियुक्ता गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी निवासी ग्राम भाटीखुर्द थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 09.02.2026 को पतंग बोरी में फँसने को लेकर हुए विवाद में विपक्षीगण द्वारा एक राय होकर वादी व उसके परिजनों के साथ गाली-गलौज व मारपीट की गई, बीच-बचाव के दौरान वादी का मड़हा जला दिया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना आसपुर देवसरा पर मु0अ0सं0 28/26 धारा 115 (2)/352/351 (3)/3 (5)/326 (G) बी.एन.एस. बनाम 05 नामजद व 4-5 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री विजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराह हे0का0 पवन नायक, का0 अरविन्द कुमार व म0आ0 आरती मौर्या द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 28/26 धारा 115 (2)/352/351 (3)/3 (5)/326 (G) बी.एन.एस. थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्ता,1.फूलजहाँ पत्नी हासिम निवासी ग्राम भाटीखुर्द थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत दयालगंज नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-
01.फूलजहाँ पत्नी हासिम निवासी ग्राम भाटीखुर्द थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराह हे0का0 पवन नायक, का0 अरविन्द कुमार व म0आ0 आरती मौर्या थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 10.02.2026
थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त राहुल उर्फ मोनू व दीपक यादव को किया गया गिरफ्तार-

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अभियु्क्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत चौरही बाईपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अचिन्त्य शुक्ल मय हमराह का0 संजीव कुमार व का0 शिवशंकर द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 87/137(2)/351(3)/61(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों, 1.राहुल उर्फ मोनू पुत्र कामता प्रसाद नि0 झाऊलाल का पुरवा जाजूपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष, 2.दीपक यादव पुत्र श्रीपाल यादव नि0 छिरिया मनार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत चौरही बाईपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. राहुल उर्फ मोनू पुत्र कामता प्रसाद नि0 झाऊलाल का पुरवा जाजूपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।
02. दीपक यादव पुत्र श्रीपाल यादव नि० छिरिया मनार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अचिन्त्य शुक्ल मय हमराह का0 संजीव कुमार व का0 शिवशंकर थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 10.02.2026
थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

सोना व्यवसायी(ज्वैलर्स) द्वारा षड्यंत्रपूर्वक स्वयं कराई गई, फर्जी लूट की घटना का पुलिस द्वारा सफल अनावरण

थाना देल्हूपुर पुलिस, स्वाट/सर्विलांस सेल व स्पेशल टीम की संयुक्त कार्यवाही में षड्यंत्रपूर्वक रची गई फर्जी एवं स्वतःकारित लूट का सफल अनावरण, 03 अभियुक्त गिरफ्तार; लूट की नकदी, चांदी, अवैध शस्त्र व वाहन बरामद

अभियुक्तों द्वारा षड्यंत्रपूर्वक फर्जी व स्वतकारित रची गई लूट की साजिश, धोखाधड़ी एवं गबन में संलिप्त 03 अभियुक्तों को थाना कोहंडौर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लोकई का पुरवा व थाना देल्हूपुर परिसर से किया गया गिरफ्तार-

घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की निशादेही पर लूट के 9,60,000/-रूपया, 03 किलो चांदी (कुल चार टुकडे), 01अदद पिठ्ठू बैग, 01 अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 03 अदद मोबाइल फोन (02 एन्ड्राइड व 01 आईफोन) व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल एवं टाटा पंच कार को बरामद।

अभियुक्तों द्वारा अपराध स्वीकार; लूट की नगद राशि व चांदी छिपाने तथा षड्यंत्रपूर्वक फर्जी व स्वतकारित रची गई लूट की घटना में भ्रामक स्थिति उत्पन्न करने की बात कबूल की-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 06.02.2026 को वादी निवासी रामगंज बाजार थाना रामगंज जनपद अमेठी अपने मित्र के साथ कार टाटा पंच से प्रयागराज से अमेठी जा रहे थे। थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत गज़ेहड़ा जंगल के पास स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात

व्यक्तियों द्वारा वाहन को रोककर वाहन में रखा बैग, जिसमें 03 किग्रा0 चांदी व 960000/- नकद रुपये थे, छीनकर फरार हो जाने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना देल्हूपुर पर मु0अ0सं0 14/26 धारा 309(4)/126(2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा तत्काल उच्चाधिकारियों के साथ मौके पर पहुँचकर घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र एवं सफल अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा घटनास्थल से भौतिक साक्ष्यों का सूक्ष्मता से साक्ष्य-संकलन किया गया तथा तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल सर्विलांस एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया। इन सतत एवं प्रभावी प्रयासों के परिणामस्वरूप अभियुक्तों की पहचान सुनिश्चित करते हुए लूट की घटना का सफल अनावरण किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेबाबू मय हमराह, थानाध्यक्ष मान्धाता श्री अरविन्द कुमार सिंह एवं एसओजी/सर्विलांस सेल प्रभारी श्री अमित कुमार चौरसिया मय हमराह व स्पेशल टीम की संयुक्त कार्यवाही में थाना देल्हूपुर के मु0अ0सं0 14/26 धारा 309(4)/126(2) बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तों, 1. रितेश मौर्य पुत्र राजाराम मौर्य निवासी रामगंज बाजार थाना रामगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 33 वर्ष, 2. अवनीश कुमार तिवारी उर्फ आयूष तिवारी पुत्र जग नारायण तिवारी निवासी राजगढ़ थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष, 3. अनुज दुबे उर्फ अनोज कुमार दुबे पुत्र हरीराम दुबे निवासी लोकई का पुरवा थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष को थाना कोहंडौर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लोकई का पुरवा व थाना देल्हूपुर परिसर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों की निशादेही पर षड्यंत्रपूर्वक फर्जी व स्वतकारित रची गई लूट की साजिश, धोखाधड़ी एवं गबन के 9,60,000/- रूपया, 03 किलो चांदी (कुल चार टुकडे), 01 अदद पिट्ठू बैग, 01 अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 03 अदद मोबाइल फोन (02 एन्ड्राइड व 01 आईफोन) व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल एवं टाटा पंच कार के साथ को बरामद किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2), 61(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई एवं घटना में प्रयुक्त वाहनों को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्त अनुज दुबे ने पूछताछ में बताया कि ये वही बैग है जिसको हम लोगों ने गाडी से लूट कर भागे थे और ये वही पैसे तथा चांदी से जो पहले से रखे हुए थे और मैने तमंचे को भी उसी में लाकर रख दिया था। अभियुक्त अनुज दुबे उर्फ अनोज कुमार दुबे उपरोक्त द्वारा अपनी गलती की बार-बार माफी मांगते हुए कहा गया कि गलती हो गयी हम लोग रितेश के बहकावे में आ गये। घटना की सत्यता के बारे में पुनः पूछताछ की गयी तो बताया कि रितेश उर्फ पंकज पर मेरी उधारी थी कुछ दिन पहले मैने रितेश से अपने पैसे वापस मांगे थे तो रितेश ने कहा था कि अभी पैसे नही है। मै कुछ प्लान करता हूँ फिर जैसा आपको बताउंगा वैसे करना। तब दिनांक 06.02.2026 के एक दो दिन पहले रितेश उर्फ पंकज ने मुझे बताया था कि मैने प्लान तैयार कर लिया है मैं प्रयागराज खरीददारी करने अपनी चार पहिया गाड़ी टाटा पंच UP36 0 4612 से जाने वाला हूँ वापसी में मेरे साथ एक कारीगर रहेगा उसी से काम बनाना है। जिसके बाद रितेश ने 06.02.2026 को फोन करके बुलाया और हम लोगो की

मुलाकात कोतवाली के पास प्रतापगढ़ में हुई और रितेश ने प्लान बाताया कि मै शाम को लौटूगां साथ में कारीगर लेकर आऊंगा और तुम दो-तीन लोगो के साथ मिलकर देल्हूपुर जंगल के पास में मेरी इसी गाडी में पीछे रखे हुए बैग को कट्टा दिखाकर लूट लेना है। जिसके बाद तुम्हे तुम्हारे पैसे भी मिल जायेगे और मुझे भी पैसे मिल जायेंगे जिससे मैं और लोगो की भी उधारी चुकता कर दूंगा। तब मैने उनसे कहा था कि कट्टे के लिए मुझे पैसे चाहिए रितेश ने मुझे 20000 रुपये दिये थे और उन्होने पहचानने के कुछ संकेत बताये थे कि जैसे ही मै मलाका प्रयागराज के बाद अपने रोड पर आउंगा तो अपने गाड़ी के अन्दर की लाइट जला दूंगा और मऊआइमा टोल प्लाजा क्राश करने के बाद गाड़ी की रफ्तार को धीमी करते हुए गाडी की पार्किंग लाइट जलाकर आउंगा तथा देल्हपुर बाजार क्राश करने के बाद जंगल के पास नदी की पुलिया को पारकर गाड़ी को खड़ी करदूंगा और मै उतरुगा तुम लोग पहचान लेना और जैसे ही मै वहां से चलूंगा तुम लोग आकर नम्बर प्लेट का इशारा करते हुए मुझे रोकने का इशारा करना और मेरे साथ लूट पाट कर लेना मेरा बैग गाड़ी में पीछे ही रखा रहेगा लेकर भाग जाना। कुछ देर बाद मैं फिर पुलिस को सूचना दूंगा। रितेश के प्लान के मुताबिक मै अपने पैसे के लिए उनके द्वारा दिये गये पैसे से अवैध कट्टे लेकर अपने अन्य दो साथियों आयूष तिवारी व केट्टन दुबे के साथ अपनी मोटर साइकिल से हम लोगो ने लूटपाट की परन्तु रितेश घटना के बाद से वापस नही मिला जिस कारण से हम लोगो द्वारा लूटे गये रुपये व चांदी का बटवारा नही हो पाया और अन्य साथियों को कुछ नही दिया हूँ। सभी मेरे पास रखा था। घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल के बारे में पूछने पर बताया कि यही घर पर खड़ी है। हम तीनो ने मिलकर रितेश के कहने पर उनके प्लान के मुताबिक काम करके थोड़े से पैसे के लालच में पडकर गलती कर बैठे। इस बार माफ कर दीजिए दोबारा नही होगा।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. रितेश मौर्य पुत्र राजाराम मौर्य निवासी रामगंज बाजार थाना रामगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 33 वर्ष।
02. अवनीश कुमार तिवारी उर्फ आयूष तिवारी पुत्र जग नारायण तिवारी निवासी राजगढ़ थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।
03. अनुज दुबे उर्फ अनोज कुमार दुबे पुत्र हरीराम दुबे निवासी लोकई का पुरवा थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष।

शेष अभियुक्त केट्टम दुबे पुत्र रामकृपाल दुबे निवासी ग्राम हनियापुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं तथा शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।

आपराधिक इतिहास-
01- रितेश मौर्य पुत्र राजाराम मौर्य निवासी रामगंज बाजार थाना रामगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 33 वर्ष का आपराधित इतिहास-
01. मु0अ0सं0 14/2026 धारा 309(4), 317(2), 61(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

02- अवनीश कुमार तिवारी उर्फ आयूष तिवारी पुत्र जग नारायण तिवारी निवासी राजगढ़ थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष का आपराधित इतिहास
01. मु0अ0सं0 14/2026 धारा 309(4), 317(2), 61(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 472/2021 धारा 67बी आईटी एक्ट थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

03- अनुज दुबे उर्फ अनोज कुमार दुबे पुत्र हरीराम दुबे निवासी लोकई का पुरवा थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष का आपराधित इतिहास-

01. मु0अ0सं0 822/2023 धारा 323, 325, 352, 504,506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 14/2026 धारा 309(4), 317(2), 61(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

लूट के 9,60,000/-रूपया व 03 किलो सफेद धातु (कुल चार सिल्ली) व 01 अदद पिठ्ठ बैग, 01 अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व03 अदद मोबाइल निजी (02 एन्ड्राइड व 01 आईफोन) बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

थाना देल्हूपुर-

थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेबाबू मय उ0नि0 अतुल यादव मय उ0नि0 ध्रुव सिंह मय हमराह का0 विनय पटेल, म0का0 नेहा शुक्ला मय चालक का० यनेन्द्र सागर थाना देल्हूपुर प्रतापगढ़।

सेकण्ड टीम- उ0नि0 दिनेश सिंह मय उ0नि0 अमित कुमार सिंहा मय हमराह हे0का0 धनन्जय राय, हे0का0 महेन्द्र प्रताप, हे0का0 यशवंत राठौर, हे0का0 पंकज लहरी मय चालक का सूर्य प्रताप सिंह थाना देल्हूपुर प्रतापगढ़।

स्पेशल टीम-

थानाध्यक्ष मांधाता श्री अरविन्द कुमार सिंह मय स्पेशल टीम हे0का0 महेश कुमार सिंह,का0 बृजेश कुमार सिंह, का० सुनील यादव, का० वीरेन्द्र यादव मय सरकारी वाहन यूपी 70 एजी 3094 मय चालक हे0का0 कमलेश सिंह यादव प्रतापगढ़।

स्वाट टीम/ एसओजी टीम/ सर्विलांस टीम- एसओजी प्रभारी श्री अमित कुमार चौरसिया मय हमराह हे0का0 मोहित राज यादव, का0 अरविन्द दुबे, का0 जागीर सिंह, का0 आशुतोष पाण्डेय, का0 सनोज व का0 संजय यादव मय चालक हे0का0 राजेन्द्र कुमार।